

10वीं वाहिनी, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, जिला-पापुमपारे
(अरुणाचल प्रदेश) 791121

“नोटिस”

10वीं वाहिनी, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, में तैनात दल सं० 111112768 डॉ. विनोद कुमार शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा, निवासी H.No. F-76, Po- Engineer Colony, Swarn Path, Distt- Mansarovar, Jaipur (Raj)-302020 {Permanant Address- Vill- Raja Nagar Peeplu, PO/Teh/P.S.- Peeplu, Distt-Tonk (Raj)-304801} दिनांक 13.11.2022(अप्रा०) से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अवकाश से अनुपस्थित चल रहा है। अधिकारी को अवकाश से आमद देने के लिए 10वीं वाहिनी द्वारा लगातार पत्राचार किया गया साथ ही पुलिस अधीक्षक, जिला Distt- Tonk (Rajasthan) को डॉ. विनोद कुमार शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को गिरफ्तार करने हेतु अनुरोध किये जाने पर भी न तो डॉ. विनोद कुमार शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी वर्तमान समय तक स्वयं इयूटी पर आमद हुआ है ना ही कोई सूचना इस मुख्यालय को प्रस्तुत की है जिसके फलस्वरूप डॉ. विनोद कुमार शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को 10वीं वाहिनी, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के आदेश सं० 933 दिनांक 06.04.2023 के तहत दिनांक 13.11.2022(अप्रा०) से भा०ति०सी०पु० बल से “भगौड़ा” घोषित किया जा चुका है। उपरोक्त के आलोक में डॉ. विनोद कुमार शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर इस कार्यालय में आमद दे। ऐसा करने में असफल होने पर उसकी भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के अधिनियम 1992 एवं नियमावली 1994 के संगत नियमों व विनियम के तहत सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

2. यदि सम्बन्धित व्यक्ति विशेष से इस नोटिस के समाचार पत्रों में प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होता है तो 10वीं वाहिनी, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल को यह छूट होगी कि वे व्यक्ति विशेष को इस मामले में प्रतिवेदन का आगे कोई मौका ना देते हुये विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही (जो चल रही है) को आगे बढ़ा दें।



(Santosh Kumar Gahlot)
Second-in-Command
For Commandant
10thBn, ITBPolice

CB 191121/11/0110/2425